5.9.19	वकील वादी व. स्टेट पैरोकार उपस्थित। वकील वादी ने [illegible] समय चाहा। मंजूर हो। 23.9.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
23.9.19	वकील वादी मय वादी, स्टेट पैरोकार उप० । जवाब दावा नहीं आया। बहस सुनी गई। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा गया, प्रथक से किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] के बाद तथा बाद तकमील कार्यवाही जाब्ता [illegible] दाखिल हो। निर्णय आज 23.9.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर)

M.L. Sharma
SDO नवलगढ़

Scanned by CamScanner

श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

3. ... पुत्री ... निवासी गढवालों की ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ
... रामलाल जाति जाट निवीस गढवालों की ढाणी तन बिरोल तह0 नवलगढ
अमित गढवाल पुत्र रामलात जाति जाट निवासी गढवालों की ढाणी तन बिरोल तह0नवलगढ

—वादीगण

बनाम

1. परमाराम
2. जोरूराम
3. ताराचन्द
4. हेतराम
5. सयीताराम
6. ओमप्रकाश पुत्रान भूराराम जाति जाट निवासीगण गढवालों की ढाणी तन बिरोल तह0 नवलगढ
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावा रिकार्ड दुरूस्ती व नाम की घोषणा बाबत

वकील वादीगण—श्री सज्जन चाहर
वकील प्रति0—राज पैरोकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 23.09.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम झाझडिया की ढाणी पटवार हल्का बिरोल की सरहद में भूमि ख.न. 1151/0.73, 1170/0.04, 1171/1.62, 1172/0.02, 1173/0.04, 1174/0.98, 1197/1.56, 1542/1053/0.40 किता 8 कुल रकबा 5.39 है0 स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक भूमि है उपरोक्त वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नं. 1 के पति व प्रार्थी नं. 2 व 3 के पिता का नाम रामलाल कीक जगह सोदू राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत दर्ज कर दिया रामलाल फौत हो चुका है जिसकी घोषणा व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिये उक्त वाद पत्र पेश है। प्रार्थी नं. 1 के पति व प्रार्थी नं. 2 व 3 के पिता का वास्तविक नाम रामलाल है समस्त दस्तावेजो आधार काड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में प्रार्थी नं. 1 के पति व प्रार्थीगण नं. 2 व 3 के पिता का नाम रामलाल ही दर्ज है तथा रामलाल फौत हो चुका है जिसके दस्तावेजो में भी जिनमे मृत्यु प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाईसेन्स, राशनकार्ड में कही पर भी सोदू दर्ज नही है रामलाल ही दर्ज है। प्रार्थीगण नं. 1 नले अपने पति का नाम राजस्व रिकार्ड देखा तो प्रार्थीगण को इस बात का पता चला कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति व प्रार्थीगण नं. 2 व 3 के पिता का नाम रामलाल की जगह सोदूराम चल रहा है। गलत नाम दर्ज होने से काफी पेरशानी हो रही है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे सोदू के स्थान पर रामलात नाम दर्ज करवाने के लिये उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम झाझडियो की ढाणी पटवार हल्का बिरोल की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 1151/0.73, 1170/0.04, 1171/1.62, 1172/0.02, 1173/0.04, 1174/0.98, 1197/1.56, 1542/1053/0.40 किता 8 कुल रकबा 5.39 है0 जिसमे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नं. 1 के पति व प्रार्थीगण नं. 2 व 3 के पिता का नाम सोदू के स्थान पर रामलाल दर्ज कर के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार उपस्थित हुये तथा इस संबंध में पटवारी हल्का प्रस्तुत की जाकर वर्णित किया गया कि सोदूराम पुत्र भूराराम तथा रामलाल पुत्र भूराराम जाति जाट दोनो एक ही व्यक्ति है तथा इनको सोदू तथारमिलाल दोनो ही नामो से पुकारा जाता है। ड्राईविंग लाईसेन्स, राशनकार्ड, पहचान पत्र आधार

Scanned by CamScanner

..ड में रामलाल दर्ज है। जबकि झाझडियों की ढाणी जमाबंदी संवत 2075–78 में इनका नाम सोढू पुत्र भूराराम दर्ज है। अतः सोढू के बजाय रामलाल राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है।

जबाबदावा प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम झाझडियों की ढाणी संवत 2075–78 के अनुसार भूमि ख.न. 1151/0.73, 1170/0.04, 1171/1.62, 1172/0.02, 1173/0.04, 1174/0.98, 1197/1.56, 1542/1053/0.40 किता 8 कुल रकबा 5.39 है0 की खातेदारी में सोढू पुत्र भूराराम हिस्सा 1/21 दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध, ड्राईविंग लाईसेन्स में रामलाल पुत्र भूराराम श्रीमती मोहनी के पति का नाम रामलाल मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, तथा आधार कार्ड में अनूप गढवाल के पिता का नाम रामलाल अंकित किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार में भी वादी नं. 1 पति व वादी नं. 2 व 3 के पिता का सही नाम रामलाल होना अंकित किया गया है। अतः वाद न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम झाझडियों की ढाणी की भूमि ख.न. 1151/0.73, 1170/0.04, 1171/1.62, 1172/0.02, 1173/0.04, 1174/0.98, 1197/1.56, 1542/1053/0.40 किता 8 कुल रकबा 5.39 है0 जमाबंदी संवत 2075–78 के क्रम संख्या 16 पर दर्ज सोढू पुत्र भूराम हिस्सा 1/21 जाति जाट के स्थान पर रामलाल पुत्र भूराराम हिस्सा 1/21 जाति जाट दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner